



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पजाकृत पावता
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र
Makhupura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 30RAJ13005

संख्या : RAJ/JAI-63/IO-8

दिनांक : 01.04.2022

प्रेषित : मेसर्स नन्द लाल अग्रवाल एंड संस
230, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-302021
Email- nla_ironore@yahoo.com, nla@ironore.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Morija** Iron Ore Mine (ML No. 02/97, Lease area 24.89 hect.) in Jaipur District of Rajasthan State.

महोदय,


The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 09.02.2022 by the undersigned in presence of Sh. Shankar Lal Agrawal, Partner, M/s Nand Lal Agrawal & Sons:

| Rule No. | Nature of violation observed in detail |
|-------------|--|
| Rule 11(1) | The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan(Approved on 31.07.2020): 1) During the year 2020-21 & 2021-22 exploration was proposed by way 11 bore holes (957m) but no such exploratory work started till date. |
| Rule 26 (2) | A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2020-21. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:
(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।


प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 रक्षित पत्रावली।


01/04/2022
(जी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

o/c

o/c


01/04/2022
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो